112

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

प्रकरण क्रमांक 814–दो/2002 निगरानी – विरूद्ध आदेश दिनांक 20–3–2002 पारित द्वारा अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा – प्रकरण क्रमांक 293/1999–2000 अपील

1– मुस.सोवरनिया पत्नि स्व.अवधेश प्रसाद
2– भगौतीप्रसाद मिश्रा 3– हरिशचन्द्र मिश्र
4– चन्द्रमणत प्रसाद 5– चन्द्रकुमार
सभी पुत्रगण स्व.अवधेश प्रसाद मिश्र
6– मुस.सरस्वती देवी पत्नि स्व.रामकिशोर
7– मुस.सोहवतिया पत्नि स्व. वृजकिशोर
8– शिवभगवान मिश्र 9– देवेन्द्रप्रसाद मिश्र
10–दिनकर प्रसाद मिश्र पुत्रगण स्व. वृजकिशोर
11– त्रिवेणी प्रसाद 12– रामधार पुत्रगण रामदुलारे
सभी ग्राम मांगी तहसील त्यौंथर जिला रीवा ---आवेदकगण

विरूद्ध

1– रामनरेश मिश्रा मृतक पुत्र रामनिरंजन
वारिस
1. रमाकांत मिश्र 2– विद्याकांत मिश्र
3– श्रीकांत मिश्र पुत्रगण स्व.रमाकांत मिश्र
4– मुस.सुखवंता देवी पत्नि स्व.रमाकांत मिश्र
2– रामचन्द्र मिश्र 3– राजनारायण मिश्र
4– राजमणि मिश्रा 5– सत्यनारायण मिश्रा
सभी पुत्रगण रामनिरंजन मिश्र निवासीगण
ग्राम मांगी तहसील त्यौंथर जिला रीवा --अनावेदकगण

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री एस.एल.धाकड़)
(अनावेदकगण के अभिभाषक श्री प्रदीप श्रीवास्तव)

आ दे श

(आज दिनांक 11-8-2017 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा द्वारा प्र0क0 293/99-2000 अपील में पारित आदेश दिनांक 20-3-2002 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनावेदकगण ने नायव तहसीलदार त्योंथर के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर बताया कि ग्राम मागी स्थित भूमि सर्वे कमांक 274 रकबा 0.11 ए. चकबंदी के वाद का नया नंबर 186 रकबा 0.71 ए. पर राम निरंजन का कब्जा दर्ज रहा है जिसके वह वारिसान हैं किन्तु वाद में बिना आदेश के कब्जा लिखना बंद कर दिया गया है जिसे दुरूस्त किया जाकर कब्जा किया जाय। नायव तहसीलदार त्योंथर ने प्रकरण कमांक 3 अ-6-अ/ 1998-99 पॅजीबद्ध किया तथा जॉच उपरांत आदेश दिनांक 3-1-99 पारित करके कब्जा दर्ज करने के आदेश दिये। इस आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी त्योंथर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी त्योंथर ने प्रकरण कमांक 97/1998-99 अपील में पारित आदेश दिनांक 24-12-99 से नायव तहसीलदार का आदेश निरस्त कर दिया तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया कि अपीलार्थीगण एंव उत्तरवादीगण को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये गुणदोष के आधार पर आदेश पारित किया जावे। अनुविभागीय अधिकारी के इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त रीवा संभाग ने प्रकरण कमांक 293/99-2000 अपील में पारित आदेश दिनांक 20-3-2002 से अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त कर दिया तथा नायव तहसीलदार त्योंथर का आदेश दिनांक 3-1-99 स्थिर रखा । इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर आवेदकगण के अभिभाषक के

तर्क सुने गये तथा अनावेदकगण के अभिभाषक के अनुपस्थित रहने के कारण उनसे लेखी बहस की अपेक्षा की गई, जो उन्होंने नहीं दी है। अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि अनुविभागीय अधिकारी त्योंथर ने प्रकरण कमांक 97/1998-99 अपील में पारित आदेश दिनांक 24-12-99 से नायव तहसीलदार को आदेश दिनांक 3-1-99 निरस्त किया है तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया कि अपीलार्थीगण एंव उत्तरवादीगण को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये गुणदोष के आधार पर आदेश पारित किया जावे अर्थात अनुविभागीय अधिकारी का आदेश प्रत्यावर्तन आदेश है जो अंतरिम स्वरूप का है जिसके विरूद्व अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा ने अपील ग्राह्य करके सुनवाई उपरांत अंतिम आदेश पारित किया है जबकि अंतरिम आदेश के विरूद्व अपील ग्राह्य योग्य एंव प्रचलन-योग्य नहीं है। इस प्रकार अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा व्दारा प्रकरण कमांक 293/99-2000 अपील में पारित आदेश दिनांक 20-3-2002 आरंभ से ही दूषित प्रकिया पर आधारित है जिसे स्थिर नहीं रखा जा सकता।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा व्दारा प्रकरण कमांक 293/99-2000 अपील में पारित आदेश दिनांक 20-3-2002 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है एंव अनुविभागीय अधिकारी त्योंथर व्दारा प्रकरण कमांक 97/1998-99 अपील में पारित आदेश दिनांक 24-12-99 प्रत्यावर्तन स्वरूप (Rimand Order) होने से यथावत् रखा जाता है।

(एस.एस.अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर